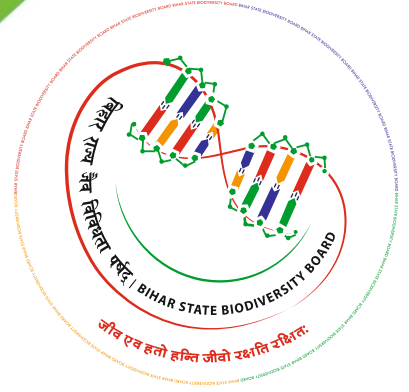




बिहार राज्य जैव विविधता पर्व

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार सरकार

“नगर निकाय स्तरीय”
जैव विविधता प्रबंधन समिति
के गठन एवं उसके उपरान्त बैठक की
कार्यवाही को ऑनलाइन अपलोड
करने हेतु दिशा निर्देश



<https://www.bmc Bihar.in/>

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार
पटना।

सेवा में,

नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत।

पटना, दिनांक-

विषय :-

10 जनवरी 2020 तक राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम-25 के अनुपालन में जैव विविधता समिति का गठन संपन्न किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली का दिनांक-09.08.2019 को श्री चन्द्र भाल सिंह बनाम भारत सरकार एवं अन्य (O.A. No.-347/2016) में दिया गया आदेश।

महाशय,

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में जैव विविधता अधिनियम, 2002 (नियमावली, 2004) अधिसूचित किया गया, जिसके धारा-63 के द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक-27.03.2017 को बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 अधिसूचित की गई (संबंधित अधिनियम/नियमावली, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वेबसाइट-www.forest.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।) बिहार जैव विविधता नियमावली के नियम-25 (प्रति संलग्न) में राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन तथा जन जैव विविधता पंजी के निर्माण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य के किसी भी नगर निकाय से जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विदित हो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान बेंच), नई दिल्ली द्वारा प्रासांगिक O.A.-347/2016 में दिनांक-09.08.2019 को अंकित किया है कि बिहार राज्य में जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन एवं जन जैव विविधता पंजी के निर्माण की प्रगति शून्य है तथा इसके त्वरित क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल देने हेतु निम्नवत आदेश पारित किया गया है।

- (i) The Chief Secretaries of all states, where the defaults are continuing, may consider giving a warning to the Panchayat Secretaries for their past failures, recording the same in their service record and give direction to the officers who are responsible for the job to ensure compliance with 100% constitution of BMCs and PBRs by 31.01.2020 failing which coercive measures may have to be considered against them. The Chief Secretaries may evolve a mechanism for ensuring a monthly meeting to be attended by the Chairman and Member Secretaries for State Biodiversity Boards, Secretaries Panchayat, Environment and Forest Starting from September, 2019.

- (ii) The States will be accountable for the defaults and required to deposit a sum of Rs. 10 lacs per month each from 01.02.2020 with the CPCB to be utilized for restoration of th enviroment. The States will be at liberty to recover the said amount from the persons committing default.

उपर्युक्त आदेश के अनुपालन हेतु राज्य के सभी नगर आयुक्त/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले सभी स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन हेतु दिनांक-07.01.2020 तक इस कार्य को सम्पन्न कराने हेतु संबंधित नगर निकायों की बैठक एक साथ ही करने हेतु तिथि निर्धारित करते हुए समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

दिनांक-10.01.2020 तक अद्यतन सूचना तथा संलग्न प्रारूप में बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय को तथा बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद, पटना के ई-मेल bsbbbihar@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाय जिसके आधार पर दिनांक-15.01.2020 तक जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन के संबंध में प्रतिशपथ पत्र गाननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(संजय दयाल)

विशेष सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:- BDB-38/2019-2

17

पटना, दिनांक- 6/1/2020

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्वद, पटना/सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/सचिव के आप्त सचिव/ श्री अरविन्द कुमार झा, संयुक्त सचिव/नोडल पदाधिकारी-SBM/Team Leader State PMU SBM/Team Leader SPMG को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,

बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017

नियम- 25. जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन

1. प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले निवासियों को सम्मिलित करते हुए एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा, जिसका कार्यकाल स्थानीय निकायों के कार्यकाल के समरूप होगा।
2. उप नियम (1) के अधीन गठित की गई जैव विविधता प्रबंधन समितियों में एक अध्यक्ष एवं स्थानीय निकायों द्वारा नामित अधिकतम छः व्यक्ति होंगे जिनमें कम से कम दो महिलायें तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का होगा।
3. जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा। मतों के बराबर रहने की स्थिति में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।
4. जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के समरूप होगा।
5. विभिन्न स्तरों पर गठित जैव विविधता समितियों के सदस्य सचिव स्थानीय निकायों के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे—
ग्राम पंचायत – पंचायत सचिव
पंचायत समिति – पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद – जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निकाय – संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
6. जैव विविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय जनों के परामर्श से जन जैव विविधता पंजी तैयार करना होगा जिसमें स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता तथा उनके ज्ञान या उनके औषधीय और अन्य उपयोग या उनसे संबंधित कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विस्तृत जानकारी होगी।
7. जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अन्य कार्य राज्य जैव विविधता पंषद द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी मामले पर अनुमोदनार्थ सलाह देना तथा जैविक स्रोतों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों तथा चिकित्सकों से संबंधित आँकड़ा संधारित करना होगा।
8. पंषद जैव विविधता प्रबंधन समिति को जन जैव विविधता पंजी तैयार करने के लिये मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगा तथा जन जैव विविधता पंजी तथा उसके ब्यौरों के विस्तृत विवरण हेतु प्रपत्र तैयार करना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आँकड़ों के लिए प्रपत्र शामिल होगा।
9. जैव विविधता प्रबंधन समिति जन जैव विविधता पंजी का संधारण एवं सत्यापन करेगी।
10. समिति जैविक संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान तक प्रदान किये गये पहुँच का विस्तृत विवरण एक पंजी में संधारित करेगी जिसमें अधिरोपित संग्रहण फीस उनसे व्युत्पन्न लाभों, तथा उनके हिस्सेदारी की पद्धति की विस्तृत विवरणी की प्रविष्टि भी सम्मिलित रहेगी।

स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee) के गठन हेतु मार्गदर्शिका ।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 भारत सरकार द्वारा 5 फरवरी, 2003 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम के आलोक में 15 अप्रैल, 2004 को भारत सरकार द्वारा जैव विविधता नियम, 2004 का राजपत्र में प्रकाशन किया गया।

जैव विविधता नियम-2004 की धारा-22 में उल्लेखित है कि "प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर जैव विविधता प्रबंधन समिति (Biodiversity Management Committee) का गठन करेगी"।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-63 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27.03.2017 को बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 अधिसूचित की गई। इस नियमावली के नियम-25 में राज्य के प्रत्येक स्थानीय निकाय में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन तथा जन जैव विविधता पंजी के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 की धारा-25 में "जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन" के संबंधित प्रावधान निम्न प्रकार है—

25(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले निवासियों को सम्मिलित करते हुए एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा जिसका कार्यकाल स्थानीय निकायों के कार्यकाल के समरूप होगा।

25(1)(क) स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में जैव विविधता प्रबंधन समिति का कार्यकाल, स्थानीय निकायों के कार्यों के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा गठित "परामर्शी समिति" के कार्यकाल तक विस्तारित होगा (अधिसूचना सं०-2/वन्यप्राणी-17/ 2021/969(ई०)प०/व०/ज०/प०, दिनांक-09 दिसम्बर 2021 द्वारा संशोधित)।

(2) उप-नियम (1) के अधीन गठित की गई जैव विविधता प्रबंधन समितियों में एक अध्यक्ष एवं स्थानीय निकायों द्वारा नामित अधिकतम छः व्यक्ति होंगे जिनमें कम से कम दो महिलायें तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का होगा।

(3) जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में, समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा। मतों के बराबर रहने की स्थिति में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(4) जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल समिति के कार्यकाल के समरूप होगा।

(5) विभिन्न स्तरों पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के सदस्य सचिव स्थानीय निकायों के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे—ग्राम पंचायत—पंचायत सचिव, पंचायत समिति—प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला परिषद्—जिला परिषद् के मुख्य कार्य पालक पदाधिकारी, नगर निकाय—संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

(6) जैव विविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से जन जैव विविधता पंजी तैयार करना होगा जिसमें स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता तथा उनका ज्ञान या उनके औषधीय और अन्य उपयोग या उनसे संबंधित कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विस्तृत जानकारी होगी।



(7) जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अन्य कार्यों में राज्य जैव विविधता पार्षद द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी मामले पर अनुमोदनार्थ सलाह देना तथा जैविक स्रोतों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों तथा चिकित्सकों से संबंधित आँकड़ा संधारित करना होगा।

(8) पार्षद, जैव विविधता प्रबंधन समिति को जन जैव विविधता पंजी तैयार करने के लिये मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगा तथा जन जैव विविधता पंजी तथा उसके व्यौरो के विस्तृत विवरण हेतु प्रपत्र तैयार करना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आँकड़ों के लिए प्रपत्र शामिल होगा।

(9) जैव विविधता प्रबंधन समिति जन जैव विविधता पंजी का संधारण एवं सत्यापन करेगी।

(10) समिति जैविक संसाधनों तथा पारस्परिक ज्ञान तक प्रदान किये गये पहुँच का विस्तृत विवरण एक पंजी में संधारित करेगी जिसमें अधिरोपित संग्रहण फीस उनसे व्युत्पन्न लाभों, तथा उनके हिस्सेदारी की पद्धति की विस्तृत विवरणी की प्रविष्टि भी सम्मिलित रहेगी।

जैव विविधता प्रबंधन समिति Biodiversity Management Committee का गठन :-

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 10084 दिनांक 20.10.2022 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन हेतु दिनांक 21.11.2022 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाय।

प्रत्येक जैव विविधता प्रबंधन समिति में स्थानीय निकायों द्वारा अधिकतम छः व्यक्तियों को निम्न प्रकार नामित किया जायेगा। जिनमें कम से कम दो महिलाएँ एवं कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति / जनजाति का होगा।

1	अध्यक्ष
2	महिला सदस्य
3	महिला सदस्य
4	अनु० जाति / अनु० जनजाति सदस्य
5	सदस्य
6	सदस्य
7	सदस्य सचिव

समिति का पदेन सदस्य सचिव, पंचायत सचिव-पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी-पंचायत समिति/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-जिला परिषद होगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति के उपरोक्त छः सदस्यों के चुनाव हेतु ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जायेगी जिसकी अध्यक्षता क्रमशः मुखिया (ग्राम पंचायत), प्रमुख (पंचायत समिति), अध्यक्ष (जिला पदविषद) करेंगे। जैव विविधता प्रबंधन समिति के लिए नामित छः सदस्य अपने एक सदस्य को समिति का अध्यक्ष चुनेंगे। मतों के बराबर होने की स्थिति में ग्राम सभा के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति के गठन की कार्यवाही संलग्न प्रपत्र में अंकित होगा जिसे आगे दिए गये विधि से Online upload किया जायेगा।

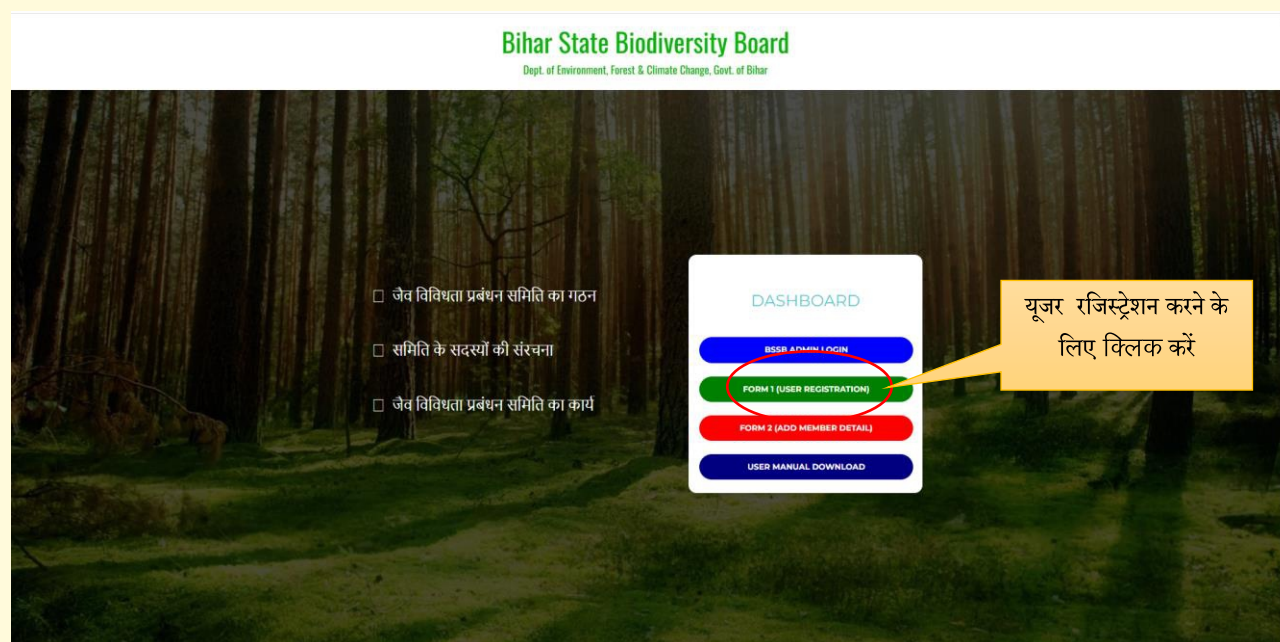
नगर निकाय स्तरीय बी.एम.सी (जैव विविधता प्रबंधन समिति) उपयोगकर्ता पुस्तिका
nagar nikaay Level BMC (Biodiversity Management committee) user manual

Step 1: - फॉर्म भरने से पहले निम्न दस्तावेज को अपने कंप्यूटर फोल्डर बना कर रख ले।

(a.) Resolution Form भर कर रख ले। (PDF format size 100-200 kb).

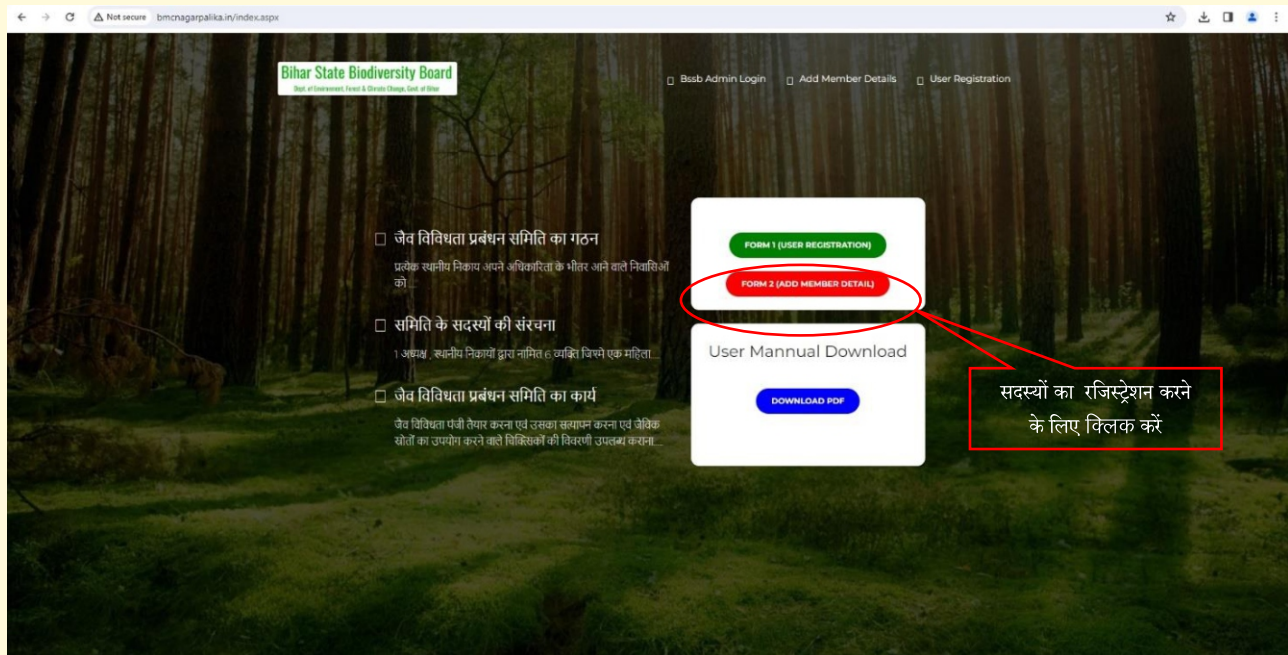
(b.) गूगल में जा कर bmcnagarpalika.in टाइप करें।

नगर निकाय स्तर के BMC मेम्बर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन “Form 1 User Registration “ (Green button) पर क्लिक करें।

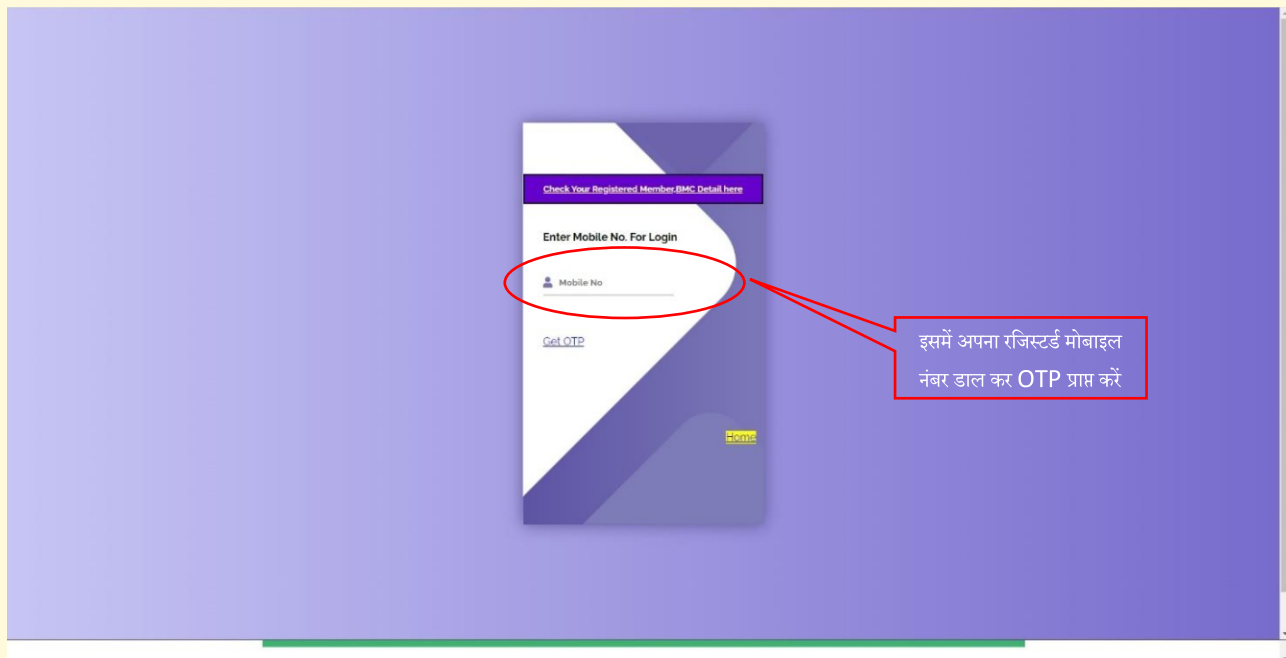


Step 2: - एक फॉर्म खुलेगा इसमें नगर निकाय का चयन करें इसके बाद जिला चुने, इसके उपरोक्त अपना नाम, पदनाम भरे, मोबाइल नं० इसके बाद अपना मोबाइल नं० भर कर OTP के माध्यम से मोबाइल नं० सत्यापन करें। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर डाटा सेव करें।

Step 3: - (Member Registration) Committee Member जोड़ने के लिए User Registration करने के बाद Home button पर जाकर Form-2 (Add Member Details) Red बटन पर क्लिक करें।



पेज खुलने के बाद लॉगइन पेज आया। इसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल कर OTP प्राप्त करें फिर OTP डाल कर लॉगइन कर ले।



Step 4: - लॉग इन करने के बाद “Add Member” पर क्लिक करें। इसके बाद एक Registration Form खुलेगा। Add Committee Member करने के लिए अपना समिति चुने। इसके बाद मेम्बर का नाम, पता, आयु, जाति, पदनाम, अपलोड करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। User को Member Details निचे दिख जाएगा इस तरह से सारे मेम्बर का विवरण भरे।

सदस्य जोड़ने के लिए क्लिक करें

सदस्य विवरण सहेजें और फिर से अन्य सदस्य विवरण दर्ज करें

User को Member Details निचे दिख जाएगा

SL.NO.	DISTRICT	COMMITTEE NAME	NAGAR NIKAY	DESIGNATION	NAME	MEMBER ID	GUARDIANS	ADDRESS	AGE	MOBILE	CATEGORY	GENDER	ACTIONS
1	BHOJPUR	Ara Municipal Corporation Biodiversity Committee	Ara Nagar Nigam	Chairman	ashokkkk	230	ashok kumar	ghgj	88	1234567894	General	Male	
2	BHOJPUR	Ara Municipal Corporation Biodiversity Committee	Ara Nagar Nigam	Ladies Member 1	ashok	231	ashok kumar	ghgj	55	1234567894	OBC	Female	
3	BHOJPUR	Ara Municipal Corporation Biodiversity Committee	Ara Nagar Nigam	Ladies Member 2	ashok	232	ashok kumar	ghgj	88	1234567894	OBC	Female	
4	BHOJPUR	Ara Municipal Corporation Biodiversity Committee	Ara Nagar Nigam	Member SC/ST	ashok	233	ashok kumar	ghgj	55	1234567894	OBC	Female	
5	BHOJPUR	Ara Municipal Corporation Biodiversity Committee	Ara Nagar Nigam	Member 1	ashok	234	ashok kumar	ghgj	40	1234567894	OBC	Male	
6	BHOJPUR	Ara Municipal Corporation Biodiversity Committee	Ara Nagar Nigam	Member 2	ashok	236	sdfgvsdfgv	dsv	55	1234567894	OBC	Male	

Step 5: - मेम्बर का सत्यापन करने के लिए सभी मेम्बर का डिटेल्स भरने के बाद “Verify Member” पर क्लिक करें। सभी मेम्बर का जाँच कर लें। इसके बाद निचे choose file पर क्लिक कर Resolution upload कर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर फॉर्म सबमिट कर दे।

संकल्प अपलोड करने के लिए
यहाँ क्लिक करें

BMC BOARD

bhawesh kumar

☐ ADD MEMBER

☐ VERIFY MEMBER

☐ LOGOUT

DETAILS OF COMMITTEE MEMBERS :-

SL.NO	NAME	ADDRESS	AGE	MOBILE	CATEGORY	DESIGNATION
1	ashokkkk	ghgj	88	1234567894	General	Chairman
2	ashok	ghgj	55	1234567894	OBC	Ladies Member 1
3	ashok	ghgj	88	1234567894	OBC	Ladies Member 2
4	ashok	ghgj	55	1234567894	OBC	Member SC/ST
5	ashok	ghgj	40	1234567894	OBC	Member 1
6	ashok	dvsv	55	1234567894	OBC	Member 2
7	ashok	ghgj	55	1234567894	OBC	Member 3
8	ashok	fssd	75	1234567894	OBC	Secretary

SL.No

Name

Address

Age

Mobile

Category

Designation

Upload Resolution

Choose File

Remove

Cancel

Upload

(Only .pdf file under 3MB is allowed.)

FINAL SUBMIT

VIEW PDF

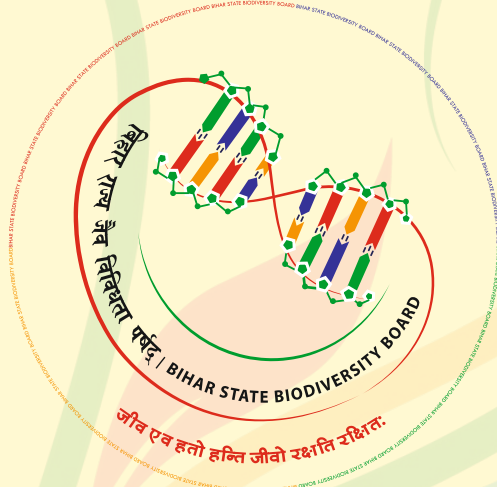
PRINT

संकल्प अपलोड करने के लिए
यहाँ क्लिक करें

इसके बाद फाइनल सबमिट
बटन पर क्लिक करें करें

© 2024, made with by Company Name

*** Thanks ***



बिहार राज्य जैव विविधता पर्व

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बिहार सरकार

चतुर्थ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर

शास्त्री नगर, पटना- 800023

Website:- <http://bsbb.bihar.gov.in/>, <https://www.bmcbihar.in/>

E-mail:- bsbbbihar@gmail.com

Phone:- 0612-2952412

Contact for Any Query:- +91 9470405190, +91 7903599229